

## परिशिष्ट-पांच (क)

(250/- के नानज्युडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित कराया जाए)

(राज्य कोटे से छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु बंधपत्र (बॉण्ड) का प्रारूप)

1. मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी.....  
छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी हूँ। मेरा चयन एमडी/एमएस/डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु सामान्य/आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है।
2. यह कि मुझे वर्ष .....<sup>2021</sup> में आयोजित "NEET" प्रवेश परीक्षा से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय.....रायपुर, छ.ग. में शैक्षणिक सत्र .....<sup>2023-24</sup> में ..... सीट आवंटित की गई है। विषय का नाम लिखें
3. यह कि वर्ष .....<sup>2023</sup> की काउंसिलिंग के पूर्व मैंने छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक.....<sup>F21-01/2018/09/55-4</sup> रायपुर दिनांक 13-03-2018 ..छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के एमडी/एमएस/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमों को पढ़कर भली भौति समझ लिया है। उपरोक्त अधिसूचना के नियम 1.1. जिसमें राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु बंधपत्र निष्पादित करने संबंधित जानकारी दी गई है, जिसे मैंने भली-भौति समझ लिया है एवं मैं उक्त नियम की सभी बिन्दुओं से सहमत हूँ।
4. मैं एतद्वारा बंधपत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता/करती हूँ, कि मैं एमडी/एमएस/डिप्लोमा पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त राज्य शासन के अधीन दो वर्षों की कालावधि तक अनिवार्य रूप से कार्य करूंगा/करूंगी।

5. यह कि इस बंधपत्र का उल्लंघन होने की दशा में, शासन को अधिकार होगा कि मेरी

\*\*\*

संपत्ति का विवरण चल एवं अचल संपत्ति से अथवा इस बंधपत्र में मेरे प्रतिभूति के रूप में हस्ताक्षरकर्ता श्री....  
भवन/मकान होने पर उसका  
एरिया, पता, अनुमानित मूल्य..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी.....  
तथा  
भूमि होने पर खसरा नं.,.....की चल एवं अचल संपत्ति (संपत्ति का सम्पूर्ण विवरण) से इस बंधपत्र की राशि  
रकबा नं., पता एवं  
अनुमानित मूल्य लिखें। रूपये .....शब्दों में (रूपए.....)\*\* की वसूली और साथ ही पाठ्यक्रम

\*\* नोट - बंधपत्र की राशि - अनारक्षित श्रेणी अभ्यर्थी 50 लाख रूपये एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी 40 लाख रूपये लिखें।

- अवधि के दौरान शासन द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की सम्पूर्ण राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जायेगी।
6. जब तक पूरी राशि की वसूली नहीं हो जाती तब तक मुझे अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जायेगा।
  7. अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात मैं संचालक चिकित्सा शिक्षा को उक्त अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करूंगा/करूंगी, जिसकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जावेगी एवं राज्य मेडिकल बोर्ड में स्नातकोत्तर योग्यता का स्थायी पंजीयन मुझे प्राप्त अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जायेगा।
  8. एमडी/एमएस/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की सूचना विश्वविद्यालय से प्राप्ति के बारह माह के भीतर यदि आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नियुक्ति आदेश जारी नहीं करते है तो यह बंधपत्र स्वमेव निरस्त समझा जायेगा।
  9. यह कि मुझे ज्ञात है कि विवाद की स्थिति में, छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय मान्य होगा।


गवाह :

हस्ताक्षर

1.....हस्ताक्षर


आवेदक/ निष्पादनकर्ता

2.....हस्ताक्षर




आवेदक  
का  
फोटो

आवेदक




प्रतिभूतिकर्ता  
का  
फोटो

प्रतिभूतिकर्ता



गवाह नं.  
1 का  
फोटो

गवाह 01



गवाह नं.  
2 का  
फोटो

गवाह 02

प्रतिभूतिकर्ता

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी .....

.....उपरोक्तानुसार बंधपत्र के लिए प्रतिभूति तथा बंधपत्र के उल्लघन की दशा में,  
बंधपत्र में उल्लिखित राशि मेरी चल एवं अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता (बिन्दु क्रमांक 05)